संख्या-796/2025/598/22-2-2023-17(937)/2022

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 16 जुलाई, 2025*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बलवीर सिंह पुत्र श्री परवीन सिंह, निवासी जनपद-मुरादाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15-11-2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बलवीर सिंह पुत्र श्री परवीन सिंह, मानपुर, थाना-छजलैट जनपद-मुरादबाद का निवासी है। बंदी द्वारा आतंकविरोधी गतिविधियों को लेकर दिनांक 31.10.1992 को 18 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जसबिन्दर उर्फ जस्सा व्यक्ति की सरकारी रायफल, रिवाल्वर, ए0के0-47, एस0एल0आर0 से गोली मारकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-01/2002 में भा0द0वि0 की धारा-120बी/364, 302, 302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0 कोर्ट सं0-1, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 29.03.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.10.2020 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 09.10.2022 तक 10 वर्ष 03 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष 09 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र 58 वर्ष तथा बंदी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं बन्दी द्वारा अपरिहार 10 वर्ष 03 माह 26 दिन तथा सपरिहार 13 वर्ष 09 माह 04 दिन की भोगी गयी सजा के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बलवीर सिंह (बन्दी संख्या-48875) पुत्र श्री परवीन सिंह, निवासी जनपद-मुरादाबाद की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-796/2025/598(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।